

प्रेस विज्ञापन

विपणन योग्य सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर: वित्त वर्ष 2022-23

जैसा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई है, भारत सरकार, अपने समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में, हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करेगी। इससे प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। तदनुसार, 29 सितंबर, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए छमाही जारी करने वाले कैलेंडर में अधिसूचित किया गया था कि कुल 16,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए एसजीआरबी जारी किए जाएंगे। भारत सरकार ने 09 नवंबर, 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया है।

2. भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। जारी करने का कैलेंडर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नीलामी की तारीख	राशि (₹ करोड़) में	प्रतिभूति-वार आवंटन
1	25 जनवरी, 2023	8000	i) ₹4,000 करोड़ रुपये के लिए 05 वर्षीय एसजीआरबी
			ii) ₹4,000 करोड़ रुपये के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी
2	09 फरवरी, 2023	8000	i) ₹4,000 करोड़ रुपये के लिए 05 वर्षीय एसजीआरबी
			ii) ₹4,000 करोड़ रुपये के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी

3. एसजीआरबी जारी करने की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी:

- **जारी करने की विधि:** एसजीआरबी समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
- **गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा:** बिक्री की अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा जैसा कि 'भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना' के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

- **पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता:** एसजीआरबी समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निर्देशों, 2018 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।
- **सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्रता:** एसजीआरबी को एसएलआर उद्देश्य के लिए पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।
- **वैहन-इश्यूड ट्रेडिंग:** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 द्वारा जारी 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में वैहन-इश्यूड बाजार में लेनदेन' पर दिशानिर्देशों के अनुसार "वैहन-इश्यूड" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- **व्यापार क्षमता:** एसजीआरबी द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र होंगे।
- **गैर-निवासियों द्वारा निवेश:** गैर-निवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 'फुल्ली एसेसएबल रूट' के तहत एसजीआरबी को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।

4. कैलेंडर परिवर्तन के अधीन है, यदि परिस्थितियां आवश्यक हैं, जिसमें हस्तक्षेप करने वाली छुट्टियों जैसे कारण शामिल हैं। इस तरह के परिवर्तनों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

5. एसजीआरबीएस की नीलामी भारत सरकार द्वारा जारी 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना संख्या एफ.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 06 जनवरी 2023